4.9.25	वकीलान उभय प्रार्थी ने एक प्रा. पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी रूपली व अप्रार्थी सं. 1 के मध्य राजीनामा हो गया है। जिससे प्रार्थी रूपली उक्त प्रा. पत्र को जरिये नोट पेज विड्रावल किया जाना चाहती है। अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र जरिये नोट पेज के खारिज किया जाता है। पत्रावली में रुख अनुसार हो। नंबर से कम होकर शामिल दफ्तर हो। 04/9/25 अपर कलक्टर, नागौर	